न्यायालय : सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट डूंगरपुर

पीठासीन अधिकारी :– पूजा सूर्या, आर.जे.एस.

C.I.S No. 206/2025

CNR : RJDG020014032025

1. श्रीमती सुशीला पत्नी कालूराम, उम्र वयस्क, निवासी खरवर खुनिया सांसरपुर पुलिस थाना चौरासी जिला डूंगगरपुर हाल निवास अपने पिता लक्ष्मण निवासी बलवनिया गेहुवाड़ा पुलिस थाना दोवड़ा जिला डूंगरपुर।
2. सुश्री आरूषी पुत्री कालूराम, उम्र 04 वर्ष, जरिए संरक्षक माता सुशीला।
3. हिमांशु पिता कालूराम, उम्र 02 वर्ष, जरिए संरक्षक माता सुशीला।

––प्रार्थीगण

बनाम

कालूराम पिता नाना, उम्र वयस्क, निवासी खरवर खुनिया सांसरपुर पुलिस थाना चौरासी जिला डूंगरपुर (राज.)

––अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 144 बीएनएसएस

वास्ते भरणपोषण राशि चाहते बाबत्

उपस्थित :–

1. श्रीमती स्वाति पारिक– विद्वान अधिवक्ता, प्रार्थीगण की ओर से।
2. अप्रार्थी के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही है।

आदेश **दिनांक : 09.06.2026**

1. प्रार्थीगण अधिवक्ता उपस्थित। अप्रार्थी के विरूद्ध दिनांक 15.01.2026 को एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। इस आदेश द्वारा प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांकित 25.03.2025 का निस्तारण किया जा रहा है।

2. संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीया ने हस्तगत प्रार्थना पत्र दिनांक 25.03.2025 को इस आशय का प्रस्तुत किया कि प्रार्थीया का विवाह जाति रिवाज अनुसार मार्च 2020 में अप्रार्थी कालूराम के के साथ गांव बलवनिया गेंहुवाड़ा में सम्पन्न हुआ था। विवाह के बाद अप्रार्थी ने कुछ समय तक प्रार्थीया को ठीक

AUTHENTICATED DOCUMENTT

रखा। कालूराम और प्रार्थीया के नुत्फे से एक बच्ची आरूसी उम्र 4 वर्ष व एक बच्चा हिमांशु उम्र 2 वर्ष है। विवाह के बाद कालूराम ने प्रार्थीया से दहेज की मांग को लेकर गाली गलौच व मारपीट करना शुरू दिया। भुवनेश्वर महादेव मंदिर दर्शन करने गए जहां तेजगति से मोटरसाइकिल चलाकर उसे गिरा दिया और मोटरसाइकिल चढ़ाकर मारने की कोशिश की तो उसे आस पास लोगों ने बचाया। नाना व धुली कालूराम के साथ मिलकर गाली गलौच कर मारपीट करते तथा कहते तेरा बाप नागड़ा है दहेज में कुछ नहीं दिया तु तेरे बाप के घर चली जा तब तक दहेज में घरेलू सामन नहीं लाती तथा रोकड़ा रूपया एक लाख नहीं लाती तब ततक इस घर में पैर मत रखना। उसके माता–पिता वृद्ध है तथा आर्थिक स्थिति कमजोर है। उसके मजदूरी के खाते में रूपये जमा थे वह भी मारपीट कर डरा धमका कर निकलवा लिए। अप्रार्थी द्वारा दहेज की मांग कर मारपीट कर घर से निकाल देने पर प्रार्थीया द्वारा एक रिपोर्ट महिला थाने में दिनांक 04.02.2022 को दी जिस पर अप्रार्थी ने 100/– रूपये के स्टाम्प पेपर पर लिखापढ़ी कर राजीनामा कर ले जाने के एक माह बाद मारपीट कर घर से मय बच्चों के निकाल दिया। वह पिछले दो साल से अपने माता–पिता के घर पर है। अप्रार्थी ने उसे निकालने के बाद दूसरी औरत कर ली है। अप्रार्थी उसका व उसके बच्चों का भरण पोषण नहीं कर रहा है। उसका स्त्रीधन कंदौरा व जवरे भी छिन लिए है। अप्रार्थी ने प्रार्थीया को घर से निकालने के बाद कोई खोज खबर नहीं ली है। प्रार्थीया जैसे तैसे अपना व बच्चों का भरणपोषण कर रही है। अप्रार्थी अहमदाबाद में प्राईवेट घरो में व ऑफिस में काम करता है जिससे प्रतिमाह 50,000/– रूपये कमा लेता है तथा पुश्तैनी भूमि करीब 15 बीघा है जिससे करीबन सालाना दो लाख रूपये आय होती है। नदी से लिप्ट के जरिए सिंचाई कर खेती करता है। अप्रार्थी प्रार्थीया एवं उसके बच्चों का भरणपोषण करने में सक्षम है। प्रार्थीया को प्रतिमाह 7,000/– रूपये व दोनों बच्चों को प्रतिमाह 5–5 हजार रूपये भरणपोषण की आवश्यकता है। अंत में निवेदन किया कि प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थीगण को अप्रार्थी से भरण पोषण राशि दिलाई जाने का आदेश फरमाया जावे।

3. अप्रार्थी को जारी किया गया नोटिस बाद तामिल प्राप्त होने पर भी अप्रार्थी के अनुपस्थित रहने व लागातार आवाज लगाने पर भी न्यायालय में उपस्थित नहीं होने पर दिनांक 15.01.2026 को अप्रार्थी कालूराम के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाने का आदेश दिया गया।

AUTHENTICATED DOCUMENTT

04. प्रार्थीया की ओर से ए.डब्ल्यू 01 प्रार्थीया ने स्वयं को परीक्षित करा अपने शपथ पत्र के कथनों को दौहराते हुए सशपथ कथन किया कि मेरा विवाह रीति रिवाज अनुसार मार्च 2020 में कालूराम पिता नाना गमेती निवासी बलवनिया गेहुवाड़ा के साथ मेरे पिताजी के घर सम्पन्न हुआ। कुछ समय तक अप्रार्थी का व्यवहार मेरे प्रति ठीक रहा। इस दौरान कालूराम के नुत्फे से मेरे एक पुत्री आरूशी तथा एक पुत्र हिमांशु का जन्म हुआ। मेरे दोनों बच्चें वर्तमान में मेरे साथ रह रहे है। बच्चों के जन्म के बाद से ही मेरे पति ने दहेज की मांग को लेकर गाली गलौच व मारपीट करना शुरू कर दिया। बच्चों के जन्म के कुछ समय बाद हम भुवनेश्वर मंदिर दर्शन करने गए थे तब मुझे मोटरसाइकिल से भुवनेश्वर महादेव मंदिर के पास नीचे गिरा दिया था व मोटरसाइकिल मेरे उपर चढ़ा कर जान से मारने की कोशिश की। मेरे सास ससुर भी शराब पीकर मेरे पति के साथ मिलकर गाली गलौच व मारपीट तथा आये दिन दहेज की मांग कर मुझे प्रताड़ित करते है। वह कहते है कि तु एक लाख रूपये जब तक नहीं लायेगी तुझे घर में पैर नहीं रखने देगे। मेरे पुत्र हिमांशु के जन्म के बाद मेरे पति व सास–ससुर ने मुझे घर से निकाल दिया। इसके पश्चात् मेरे द्वारा महिला थाना डूंगरपुर में मेरे पति के विरूद्ध प्रार्थना पत्र पेश किया जिसमें भी अप्रार्थी व उसके माता–पिता मुझे व मेरे बच्चों का भरणपोषण और रखने को तैयार नहीं है। महिला थाने में दिनांक 04.02.2022 को सौ रूपये के स्टाम्प पर राजीनामा हुआ था। उसके बाद मैं ग्यारह महीने मेरे पति के साथ रही इसके बाद वर्ष 2023 में मेरे पति ने पुनः शराब पीकर मारपीट कर दहेज में एक लाख रूपये की मांग कर बच्चों सहित मेरा स्त्रीधन छिन कर पहने कपड़े मारपीट कर मुझे घर से निकाल दिया। तबसे मैं अपने माता–पिता के पास रह रही हूं। मेरे पास आय का कोई जरिया नहीं है। मेरे माता–पिता वृद्ध है और मेरे भाई की कोई आय नहीं है। अप्रार्थी अहमदाबाद में प्राईवेट घरों और ऑफिसों में काम करता है, जिससे उसे मासिक पचास हजार रूपये की आय होती है तथा अप्रार्थी के पास पुश्तैनी पन्द्रह बीघा जमीन है जिसमें कृषि से सालाना दो लाख रूपये की आय होती है। मुझे मेरे व दोनों बच्चों के भरणपोषण, दवाई व पढ़ाई के खर्चों हेतु 7,000/– हजार रूपये व बच्चों के लिए 5–5 हजार रूपये कुल 17,000/– रूपयों की आवश्यकता है। मेरे परिवारजन एवं हमारे समाज के लोगों द्वारा भी कई बार अप्रार्थी व उसके माता–पिता के साथ समझाइस की गई परन्तु वह मुझे व मेरे बच्चों को साथ रखने तैयार नहीं है तथा ना ही आज दिनांक तक मेरा व मेरे बच्चों का भरणपोषण कर

AUTHENTICATED DOCUMENTT

रहे है। मेरा जनआधार कार्ड प्रदर्श 1 है, जिसकी फोटोप्रति प्रदर्श 1 ए है। मेरी पुत्री आरूशी का आधारकार्ड प्रदर्श 2 है, जिसकी फोटोप्रति प्रदर्श 2 ए है। मेरे पुत्र हिमांशु का आधारकार्ड प्रदर्श 03 है, जिसकी फोटोप्रति प्रदर्श 3 ए है। मेरा आधार कार्ड प्रदर्श 4 है, जिसकी फोटोप्रति प्रदर्श 4 ए है, जिसमें मेरे पति का नाम अंकित है।

05. प्रार्थीया की ओर से गवाह लक्ष्मण को ए.डब्ल्यू 2 के रूप में पेश किया गया जिसने सशपथ कथन किया कि मेरी पुत्री का विवाह रीति रिवाज अनुसार मार्च 2020 में कालूराम पिता नाना गमेती निवासी बलवनिया गेहुवाड़ा के साथ मेरे घर सम्पन्न हुआ। कुछ समय तक अप्रार्थी का व्यवहार मेरी पुत्री प्रति ठीक रहा। इस दौरान कालूराम के नुत्फे से मेरी पुत्री के एक पुत्री आरूशी तथा एक पुत्र हिमांशु का जन्म हुआ। मेरी पुत्री के दोनों बच्चें वर्तमान में मेरी पुत्री के साथ रह रहे है। बच्चों के जन्म के बाद से ही मेरी पुत्री के पति ने दहेज की मांग को लेकर गाली गलौच व मारपीट करना शुरू कर दिया। बच्चों के जन्म के कुछ समय बाद वह दोनों भुवनेश्वर मंदिर दर्शन करने गए थे तब मेरी पुत्री को अप्रार्थी ने मोटरसाइकिल से भुवनेश्वर महादेव मंदिर के पास नीचे गिरा दिया था व मोटरसाइकिल मेरी पुत्री के उपर चढ़ा कर जान से मारने की कोशिश की। मेरी पुत्री के सास ससुर भी शराब पीकर उसके पति के साथ मिलकर गाली गलौच व मारपीट तथा आये दिन दहेज की मांग कर उसे प्रताड़ित करते है। वह कहते है कि तु एक लाख रूपये जब तक नहीं लायेगी तुझे घर में पैर नहीं रखने देगे। मेरी पुत्री के पुत्र हिमांशु के जन्म के बाद उसके पति व सास–ससुर ने उसे घर से निकाल दिया। इसके पश्चात् उसके द्वारा महिला थाना डूंगरपुर में उसके पति के विरूद्ध प्रार्थना पत्र पेश किया जिसमें भी अप्रार्थी व उसके माता–पिता उसे व उसके बच्चों का भरणपोषण और रखने को तैयार नहीं है। महिला थाने में दिनांक 04.02.2022 को सौ रूपये के स्टाम्प पर राजीनामा हुआ था। उसके बाद वह ग्यारह महीने उसके पति के साथ रही इसके बाद वर्ष 2023 में उसके पति ने पुनः शराब पीकर मारपीट कर दहेज में एक लाख रूपये की मांग कर बच्चों सहित उसका स्त्रीधन छिन कर पहने कपड़े मारपीट कर उसे घर से निकाल दिया। तबस वह मेरे पास रह रही है। उसके पास आय का कोई जरिया नहीं है। मैं वृद्ध हूं और मेरे पुत्र की कोई आय नहीं है। अप्रार्थी अहमदाबाद में प्राईवेट घरों और ऑफिसों में काम करता है, जिससे उसे मासिक पचास हजार रूपये की आय होती है तथा अप्रार्थी के पास पुश्तैनी पन्द्रह

AUTHENTICATED DOCUMENTT

बीघा जमीन है जिसमें कृषि से सालाना दो लाख रूपये की आय होती है। मेरी पुत्री व उसके दोनों बच्चों के भरणपोषण, दवाई व पढ़ाई के खर्चों हेतु 7,000/– हजार रूपये व बच्चों के लिए 5–5 हजार रूपये कुल 17,000/– रूपयों की आवश्यकता है।

06. प्रार्थना पत्र पर एकपक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली व संबंधित विधि का अध्ययन किया गया। दौराने बहस अधिवक्ता प्रार्थीया ने निवेदन किया कि अप्रार्थी द्वारा प्रार्थीया के साथ मारपीट कर उसे व उसके बच्चों को घर से निकाल दिया। अप्रार्थी द्वारा प्रार्थीया व उसके बच्चों के भरणपोषण में उपेक्षा की जाती रही है। प्रार्थीया अपना व दोनों बच्चों का भरणपोषण करने में सक्षम नहीं है। अप्रार्थी अहमदाबाद में प्राईवेट घरों और ऑफिसों में काम करता है, जिससे उसे मासिक पचास हजार रूपये की आय होती है तथा अप्रार्थी के पास पुश्तैनी पन्द्रह बीघा जमीन है जिसमें कृषि से सालाना दो लाख रूपये की आय होती है। प्रार्थीया व उसके दोनों बच्चों के भरणपोषण, दवाई व पढ़ाई के खर्चों हेतु 7,000/– हजार रूपये व बच्चों के लिए 5–5 हजार रूपये कुल 17,000/– रूपयों की आवश्यकता है।

07. सुना गया। पत्रावली एवं सुसंगत विधि का अवलोकन किया गया। न्यायालय को पत्रावली के निस्तारण हेतु निम्न बिन्दुओं पर विचार करना होता है :–

क्या प्रार्थीया श्रीमती सुशीला अप्रार्थी कालूराम की वैध विवाहित पत्नी है?

08. पत्रावली के अवलोकन से यह दर्शित आता है कि प्रार्थीया द्वारा अपने प्रार्थना पत्र की कलम संख्या एक में स्पष्ट रूप से यह तथ्य अंकित किया गया है कि उसका विवाह जाति रीति रिवाज अनुसार मार्च 2020 में कालूराम पिता नाना गमेती निवासी बलवनिया गेहुवाड़ा के साथ उसके पिताजी के घर सम्पन्न हुआ था व कालूराम के नुत्फे से प्रार्थीया के एक पुत्री आरूशी तथा एक पुत्र हिमांशु का जन्म हुआ, जो कि वर्तमान में नाबालिग है। उक्त तथ्य की ताईद प्रार्थीया द्वारा न्यायालय में हुए बयान में की गई, जिसमें उसके द्वारा सशपथ उक्त कथनों को दौहराया गया। प्रार्थीया की ओर से पेश अन्य गवाह प्रार्थीया के पिता श्री लक्ष्मण ए.डब्ल्यू 02 द्वारा भी उक्त कथन की सशपथ ताईद की गई। प्रार्थीया द्वारा जनआधार कार्ड प्रदर्श 1–ए और आधारकार्ड प्रदर्श 04–ए पेश किया गया जिस पर अप्रार्थी कालूराम गमेती का नाम स्पष्ट रूप से अंकित है। अप्रार्थी द्वारा उक्त तथ्य का खण्डन नहीं

AUTHENTICATED DOCUMENTT

किया गया। अतः प्रार्थीया का उक्त तथ्य अखण्डित रह जाता है और न्यायालय के समक्ष प्रार्थीया का अप्रार्थी की वैध विवाहित पत्नी होना आता है।

क्या प्रार्थीया युक्तियुक्त कारण से अप्रार्थी से पृथक जीवनयापन कर रही है?

09. पत्रावली पर आई साक्ष्य का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रार्थीय पक्ष की ओर से प्रार्थीया ने स्वयं को ए.डब्ल्यू 01 के रूप में परीक्षित करवाया और मुख्य परीक्षण में सशपथ कथन किया कि प्रार्थीया वर्तमान में उसके दोनों बच्चों के साथ उसके पिता के घर रह रही है। उसके पति ने शादी के कुछ साल तक उसे ठीक रखा परन्तु पुत्र हिमांशु के हो जाने के पश्चात् से अप्रार्थी का प्रार्थीया को शराब पीकर गाली गलौच करना, मारपीट करना व दहेज की मांग कर प्रताड़ित किया है। प्रार्थीया द्वारा यह भी कथन किया गया कि प्रार्थीया के पति व उसके सास–ससुर द्वारा बार–बार मारपीट कर एक लाख रूपये दहेज लाने के लिए कह कर उसे घर से निकाल दिया। उक्त गवाहों से अप्रार्थी द्वारा किसी प्रकार की जिरह नहीं की गई। प्रार्थीया द्वारा पेश गवाह ए.डब्ल्यू 02 श्री लक्ष्मण द्वारा भी प्रार्थीया के उक्त कथनों की सशपथ ताईद की गई। गवाह ए.डब्ल्यू 02 से भी किसी प्रकार की कोई जिरह नहीं की गई। अतः गवाह ए.डब्ल्यू 1 व ए.डब्ल्यू 2 द्वारा न्यायालय में सशपथ बयान में किए गए कथन अखण्डित रहे। प्रार्थीया द्वारा न्यायालय में दिए गए सशपथ बयानों से प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों की पूर्णरूप से ताईद होती है।

अतः पत्रावली पर आई साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि अप्रार्थी द्वारा प्रार्थीया के साथ मारपीट की गई, दहेज की मांग की गई व उक्त कारणों से प्रताड़ित कर घर से निकाल दिया गया। हालांकि प्रार्थीया ने अपने बयानों में यह भी कथन किया कि दिनांक 04.02.2022 को सौ रूपये के स्टाम्प पर राजीनामे के पालना में अप्रार्थी उसे अपने घर ले गया था जहां वह अप्रार्थी के साथ ग्यारह महीने रही परन्तु पुनः वर्ष 2023 में अप्रार्थी द्वारा शराब पीकर दहेज में एक लाख रूपये की मांग कर और प्रार्थीया का स्त्रीधन छिन कर उसे घर से निकाल दिया गया। पत्रावली पर इसके अतिरिक्त ऐसा कोई भी साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, जिससे यह प्रकट होता हो कि अप्रार्थी द्वारा प्रार्थीया को पुनः अपने घर ले जाने का कोई प्रयास किया गया हो। ऐसे में यह स्पष्ट है कि प्रार्थीया युक्तियुक्त कारणों से अपने बच्चों के साथ अप्रार्थी से पृथक निवास कर रही है। अतः बिन्दु संख्या 02 प्रार्थीया स्वयं के पक्ष में साबित करने में सफल हुई है।

AUTHENTICATED DOCUMENTT

क्या अप्रार्थी ने भरण पोषण के प्रर्याप्त साधन रहते हुये भी अपनी विवाहित पत्नी व अपने बच्चों के भरण पोषण की उपेक्षा की है?

10. उपरोक्त बिन्दु के संबंध में पत्रावली का अवलोकन करे तो प्रार्थीया द्वारा अपने प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 04 में स्पष्ट रूप से कथन किया है कि अप्रार्थी अहमदाबाद में प्राईवेट घरों और ऑफिसों में काम करता है, जिससे उसे मासिक पचास हजार रूपये की आय होती है तथा अप्रार्थी के पास पुश्तैनी पन्द्रह बीघा जमीन है जिसमें कृषि से सालाना दो लाख रूपये की आय होती है। प्रार्थीया व गवाह ए.डब्ल्यू 02 श्री लक्ष्मण के बयानों से भी उक्त कथन की ताईद होती है। उक्त कथन भी पत्रावली पर अखण्डनीय रहे। चुंकि यह तथ्य स्पष्ट है कि प्रार्थीया अप्रार्थी की वैध विवाहिता पत्नी है व उसकी दोनों संताने अप्रार्थी की वैध संतान है। ऐसे में अप्रार्थी का यह नैतिक व विधिक दायित्व है कि वह प्रार्थीया का भरणपोषण करे।

11. ऐसी स्थिति में पत्रावली पर आई साक्ष्य से यह प्रमाणित होता है कि अप्रार्थी द्वारा सक्षम होते हुए तथा आय अर्जित करते हुए भी प्रार्थीया व उसके बच्चों का भरणपोषण करने में उपेक्षा की गई है। परिमाणतः उक्त तीनों बिन्दु प्रार्थीया के पक्ष में विनिश्चित किए जाकर प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 144 बी.एन.एस.एस. स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

12. अब न्यायलय को यह देखना है कि भरणपोषण की उचित राशि क्या होगी ? प्रार्थीया द्वारा दौराने साक्ष्य किए गए कथनों से यह प्रकट होता है कि अप्रार्थी द्वारा प्रार्थीया संख्या 01, 02 व 03 के भरणपोषण की कोई राशि अदा नहीं की जा रही है। वर्तमान में प्रार्थीया के आय का कोई स्त्रोत हो, ऐसा कोई दस्तावेज पत्रावली पर मौजूद नहीं है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 144 का प्रावधान सामाजिक उत्तरदायित्व की पूर्ति के लिये इसलिये स्थापित किया गया है कि भरणपोषण के अभाव में विवाहित पत्नी व बच्चों को ठोकरे नहीं खानी पड़े एवं मानवीय अधिकारों से वंचित न हो। न्यायालय के मत में प्रार्थीया संख्या 01 स्वयं के लिये गुजारा भत्ता हेतु 3000/–रूपये मासिक दिलाया जाना उचित है।

13. प्रार्थीया द्वारा अपनी पुत्री आरूषी की उम्र आवेदन की दिनांक 25.03.2025 को 04 वर्ष व पुत्र हिमांशु की उम्र 02 वर्ष दर्शाई गई है। धारा 144 बीएनएसएस के अनुसार अव्यस्क संतान को ही भरण पोषण दिलाया जा सकता है। आज आदेश की दिनांक को प्रार्थीगण संख्या 2 व 3 की उम्र 18 वर्ष से कम है। ऐसे में प्रार्थीगण

AUTHENTICATED DOCUMENTT

संख्या 2 व 3 को आवेदन की दिनांक से 18 वर्ष की उम्र तक प्रत्येक के लिए 2000/– रूपये दिलाया जाना उचित है। इस प्रकार समस्त प्रार्थीगण को कुल 7,000/– रूपये भरण पोषण दिलाया जाना न्यायोचित है।

आदेश

14. अतः प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांकित 25.03.2025 स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि अप्रार्थी कालूराम प्रार्थीया श्रीमती सुशीला को 3000/– रूपये भरणपोषण हेतु प्रार्थीया को आवेदन की दिनांक 25.03.2025 से अदा करेगा। अप्रार्थी कालूराम प्रार्थीगण संख्या 02 आरूषी व 03 हिमांशु प्रत्येक के लिये 2000/– रूपये आवेदन की दिनांक 25.03.2025 से उनके 18 वर्ष की उम्र तक के लिये प्रार्थीया को अदा करेगा। अप्रार्थी आदेश की दिनांक से पूर्व का एरियर तीन समान किश्तों में जो कि तीन–तीन माह के अंतराल पर देय होगी तथा प्रथम किश्त दिनांक 01.07.2026 को देय होगी। बाद की दोनों किश्ते तीन–तीन माह के अंतराल में देय होगी। अप्रार्थी प्रत्येक माह के भरणपोषण की राशि 3000/– रूपये प्रार्थीया संख्या 01 के लिये व 2000/– रूपये प्रार्थीया संख्या 02 व 03 प्रत्येक के लिये उनकी उम्र 18 वर्ष होने तक अदा करेंगा। इस प्रकार प्रार्थीगण के भरणपोषण हेतु कुल 7000/– रूपये हर माह की 10 तारिख तक आवश्यक रूप से अदा करेगा।

15. यदि प्रार्थीया अप्रार्थी को अपना बैंक खाता संख्या बताती है तो अप्रार्थी प्रत्येक माह की 10 तारिख से पूर्व प्रार्थीया के खाते में जमा करायेगा।

16. प्रार्थीया यदि, अन्य सक्षम न्यायालय से अप्रार्थी कालूराम से भरणपोषण बाबत् कोई राशि प्राप्त कर रही हैं, तो उक्त राशि इस राशि में समायोजन योग्य होगी।

(पूजा सूर्या, आरजेएस)
न्यायिक मजिस्ट्रेट, डूंगरपुर

17. आदेश आज दिनांक 09.06.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया व हस्ताक्षरित किया गया।

RAIS ALI
shehrestadar Grade III
"I attest to the accuracy and authenticity of this document."
Digitally signed by RAIS ALI
Location: JM COURT
Date: 2026.06.11 09:03:11 +0530

(पूजा सूर्या, आरजेएस)
न्यायिक मजिस्ट्रेट, डूंगरपुर

AUTHENTICATED DOCUMENTT